छत्तीसगढ़ शासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

(वर्ष 2008—2009)

(दिनांक 01.01.2008 से 31.12.2008)

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

श्री रामविचार नेताम
विधि मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक

(संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य)

बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की

स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

(राष्ट्र की एकता और अखंडता)

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में

आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0

(मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को

एतद्‌द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,

अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं .

—•—

:: विषय वस्तु ::

प्रस्तावना

1. विभाग की प्रशासनिक संरचना
2 विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य
3. विभाग के मुख्य कार्य
4. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम
5. विभाग के अंतर्गत अधीन गठित मण्डल, निगम एवं विश्वविद्यालय
6. विभाग के अधीन सेवा
7. न्याय प्रशासनः-
   - 7.1 उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण
   - 7.2 उच्च न्यायालय भवन का निर्माण
   - 7.3 न्याय प्रशासन अधोसंरचना विकास सुविधा (न्यायालय भवन/आवासीय भवनों का निर्माण)
   - 7.4 कुटुम्ब न्यायालय का निर्माण
   - 7.5 फास्ट ट्रेक कोर्ट्स का निर्माण
   - 7.6 न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण
   - 7.7 वर्ष 2008-09 के लिए बजट प्रावधान
   - 7.8 हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का बजट प्रावधान
   - 7.9 विधिक सहायता तथा गरीबों को विधिक सलाह
8. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण
9. हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
10. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर
   - 10.1 विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति
   - 10.2 विधिक सहायता एवं सलाह किन-किन रूपों में प्राप्त की जा सकती है
   - 10.3 निःशुल्क विधिक सेवा/परामर्श तथा अधिक जानकारी के लिये संपर्क
   - 10.4 छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाएं
   - 10.5 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य में संचालित योजनाएं/कार्यक्रम
   - 10.6 छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण
   - 10.7 छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्ष 2008 की प्रमुख गतिविधियां
   - 10.8 वर्तमान में जिलेवार न्याय सदन निर्माण की स्थिति
   - 10.9 छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विविध कार्य

11. शासकीय / अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति
12. नोटरी
13. उच्चतम न्यायालय में स्टेन्डिंग कौंसिल
14. महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत विधि अधिकारीगण
15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
16. विभाग की महत्वपूर्ण शाखाओं द्वारा संपादित कार्य
17. सारांश
18. भविष्य की योजनाएं

--000--

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रस्तावना

अत्रापी भारतं श्रेष्ठं जम्बूदीपे महामुने।
यतो हि कर्म भूरेष्या ततोन्या भोग भूभयाः।।

मनु स्मृति की उक्त युक्ति यह सिद्ध करती है कि भारत भूमि संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ भूमि है । यह भूमि इतनी पवित्र है कि इसकी प्रशंसा में देवता तक गीत गाते हैं तथा इस भूमि पर मानव रूप में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं । भारत वर्ष की इस भूमि में स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश का यह गौरव है कि छ.ग. की यह धरती भगवान राम के चरण रज से पवित्र हुई है तथा भगवान राम के चरण रज की सौंधी महक सहज ही महसूस की जा सकती है । यह वही भूमि है जहाँ भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे । हमारे राष्ट्र की संस्कृति विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है ।

व्यक्ति, समाज, धर्म, राजनीति का मूल आधार मनु स्मृति का यह नीति वाक्य है कि – **''लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु।''** यह नीति वाक्य एक व्यवस्थित समाज के लिए अपरिहार्य है ।

छ.ग. राज्य पूर्ण स्वावलंबी बने तथा प्रदेश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा समानता के अवसर प्राप्त करने हेतु चहुँ ओर प्रयास हुआ है और इसमें राज्य का प्रयास प्रशंसनीय रहा है ।

संविधान के अनुच्छेद 39-क के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लिये निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है । जिसका ध्येय है कि कोई भी व्यक्ति अर्थाभाव अथवा अन्य किसी भी कारण से न्याय से वंचित न रह जाये । छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है । दूरस्थ ग्रामों तक विधिक सहायता एवं परामर्श हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अनेक योजनायें प्रारंभ की गई हैं ।

न्याय प्रशासन के उन्नयन की दिशा में अग्रसर होते हुए माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में न्यायाधीशों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 की गई है । राज्य में पारिवारिक मामलों के त्वरित निराकरण हेतु 14 कुटुंब न्यायालय स्थापित हैं एवं जगदलपुर एवं कबीरधाम जिलों

में कुटुंब न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं । राज्य के दूरस्थ अंचलों में न्यायालय की स्थापना के उद्देश्य से राज्य के 25 स्थानो में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का अतिरिक्त न्यायालय स्थापित किया गया है । राज्य के न्यायालयों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के 2 पद व व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के 48 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के 2 पदों व व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के शेष 12 पदों पर नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । राज्य के कुटुंब न्यायालयों में परामर्शदाता ओं की नियुक्ति की गई है । हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है । राज्य में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु 31 फास्ट ट्रेक कोर्ट कार्यरत हैं ।

राज्य के नागरिकों में उनकी गरिमा तथा राज्य की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की सुदृढ़ीकरण के लिए सभी कृत संकल्पित होकर कार्यरत हैं ।

हमारा मुख्य उद्देश्य विधि निर्माण एवं कानून के अनुसार प्रदेश का कार्य संचालन, राज्य में जरूरी विधि शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्ग हेतु विशेष न्यायालयों का गठन, पारिवारिक विवादों के निपटारे हेतु सतत् प्रयास, जिलों में कुटुंब न्यायालय की स्थापना, कमजोर वर्ग के लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में न्याय प्रशासन के कार्य में प्रगति लाना है।

वर्ष 2008-2009 का विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

(आर. एस. शर्मा)
सचिव
छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग